

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक प.15(1)प्राशि/2017 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक


19 NOV 2018

संशोधन आज्ञा

इस विभाग की समसख्यंक आज्ञा दिनांक 28.01.2017 के द्वारा टोंक जिले में नामित किये गये पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की सूची में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति / ब्लॉक	ग्राम पंचायत	वर्तमान में नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधित नामित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	संशोधन का कारण
1	टोंक	टोडारायसिंह	लक्ष्मीपुरा धाकडान	रामावि लक्ष्मीपुरा धाकडान	राउमावि खेडूल्याखुर्द	ग्राम पंचायत का उच्चतम स्तर का विद्यालय होने के कारण
2	टोंक	टोडारायसिंह	इन्दोकिया	रामावि इन्दोकिया	राउमावि कुहाडाखुर्द	ग्राम पंचायत का उच्चतम स्तर का विद्यालय होने के कारण
3	टोंक	टोंक	काबरा	रामावि काबरा	राउमावि उम	ग्राम पंचायत का उच्चतम स्तर का विद्यालय होने के कारण
4	टोंक	उनियारा	बिलासपुर	रामावि बिलासपुर	राउमावि बिणजारी	ग्राम पंचायत का उच्चतम स्तर का विद्यालय होने के कारण

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक राज0, बीकानेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त संशोधित आदेश को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
7. जिला कलेक्टर,।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,।
9. उपनिदेशक, प्राशि/माशि,।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माशि, उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,।
12. रक्षित पत्रावली।


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव